नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम

मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

के बारे में

इस स्कीम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके।

लाभ

इस स्कीम के अंतर्गत चयनित कोचिंग संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने की शर्तें निम्नलिखित हैं:

- विश्वविद्यालय एवं स्वायत्तशासी निकाय, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पेशेवर कोचिंग संस्थानों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थान।
- मानद (डीम्ड) विश्वविद्यालयों सहित पेशेवर कोचिंग गतिविधियों में संलग्न निजी विश्वविद्यालय/कालेज।
- ट्रस्ट, कंपनियां, साझीदार फर्में या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत सोसायटी और पेशेवर कोचिंग में लगे संस्थान।

पात्र उम्मीदवार / छात्र

- पात्रता/अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी ने अंकों का अपेक्षित प्रतिशत अनिवार्यत: प्राप्त किया हो
- अभ्यर्थी केवल अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का हो
- उसके परिवार की कुल आय सभी स्रोतों से 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक से न हो।
- इस योजना के अंतर्गत कोई छात्र कोचिंग का केवल एक बार लाभ ले सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत आने वाले छात्र/अभ्यर्थी को सभी कक्षाओं में उपस्थित होना होगा
- कोचिंग के लिए स्वीकृत संख्या का 30% छात्राओं/अभ्यर्थियोंके लिए निर्धारित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

सरकारी क्षेत्र के संस्थान निर्धारित प्रोफार्मा में अपने प्रस्ताव अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सीधे भेज सकेंगे गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) सहित निजी क्षेत्र के संगठन अपने प्रस्ताव संबद्ध राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से प्रस्तुत करें।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://minorityaffairs.gov.in/free_coachin or

http://minorityaffairs.gov.in/sites/upload_files/moma/files/free_coaching_guidelines.pdf